

1 पर  
रिवाइज  
2 रिपॉर्ण  
गोरीख

22-02  
2020

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री कोन्दा तिर्की, पिता - स्व० बुधुवा तिर्की, निवासी ग्राम - मेरी टोला, थाना - मुफसिल, जिला - प०सिंहभूम चाईबासा ने मौजा - डिलियामार्चा, थाना संख्या 108 के अन्दर खाता संख्या 113, प्लॉट संख्या 2632, रकवा -0.05 एकड़ भूमि क्रेता श्री अमित सिंह कुंटिया, पिता- जय प्रकाश सिंह कुंटिया, ग्राम -सोमापंचो, थाना -मुफसिल प०सिंहभूम चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के के नाम पर नामान्तरण मुकदमा संख्या-494/2015-16 के द्वारा नामान्तरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 83, दिनांक 31.01.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि गृह निर्माण एवं देनपरिदेन हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री अमित सिंह कुंटिया, पिता - जय प्रकाश सिंह कुंटिया, ग्राम - सोमापंचा, थाना - मुफसिल के पास 2,00,000.00/- (दो लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक कोन्दा तिर्की, पिता -स्व० बुधुवा तिर्की, निवासी ग्राम -मेरी टोला, थाना - मुफसिल, जिला - प०सिंहभूम चाईबासा ने क्रेता अमित सिंह कुंटिया, पिता - जय प्रकाश सिंह कुंटिया, ग्राम - सोमापंचा, थाना - मुफसिल प०सिंहभूम चाईबासा के पास जमीन को 2,00,000.00/- (दो लाख) रूपये में मौजा-डिलियामार्चा, थाना न० - 108, खाता नं० - 113, प्लॉट नं० - 2632, रकवा-0.05 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की.....अनुमति..... दी जाती है।

लेखापित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।